डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल, 2002—वैशाख 6, शक 1924

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

मै, गणेश प्रसाद वर्मा, सहायक ग्रेड-3, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, महासमुन्द "विभाग जनशक्ति नियोजन छत्तीसगढ़" शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूं कि अव मुझे.मेरे पूर्व के नाम "गणेश प्रसाद वर्मा" के स्थान पर "गणेश प्रसाद सोनी" परिवर्तित माना जाये तथा मुझे "गणेश प्रसाद सोनी" के नाम से ही जाना जाय. मैं समस्त समयों पर, समस्त अभिलेखों, विलेखों तथा लेखों में और समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों तथा संव्यवहारों में, चाहे वे प्राइवेट हो या सरकारी हो और समस्त अवसरों पर, अपने पूर्व उपनाम "वर्मा" के स्थान पर तथा उसकी जगह उपनाम "सोनी" का ही उपयोग करूंगा और इसी उपनाम से हस्ताक्षर करूंगा.

पुराना नाम
गणेश प्रसाद वर्मा
सहायक ग्रेड-3

नया नाम
गणेश प्रसाद सोनी
सहाकय ग्रेड-3
जिला रोजगार एवं स्वरोजगार
मार्गदर्शन केन्द्र, महासमुन्द (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

मै, अशोक कुमार खत्री, निवासी 374, प्रियदर्शनी नगर रिंग रोड नं. 1, रायपुर (छ. ग.) मैंने अपना उपनाम कपूर कर लिया है. भविष्य में मुझे अशोक कुमार कपूर के नाम से लिखा, पढ़ा व जाना जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
अशोक कुमार खत्री	अशोक कुमार कपूर

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास बालोद, जिला दुर्ग

प्रारूप-चतुर्थ

[देखिये नियम 5 (1)]

[छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 का तीसवां की धारा (2) और छत्तीसगढ़ राज्य लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 468/प्र. 1/अ.वि.अ./2002—चूंकि श्री प्रकाशचंद जैन आ. रघुनाथमल जैन निवासी ग्राम देवीनवागांव तहसील बालोद जिला दुर्ग (छ. ग.) के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पब्लिक ट्रस्ट एक्ट (1951 का तीसवां) की धारा-4 के लिए अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई ट्रस्ट के पंजीयन के लिए आवेदन दिया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है, कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 29-4-2002 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखते हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो तो उसे इस सूचना लोक न्यास है, गठन करती है.

अत: मैं, एस. पी. दीक्षित, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास तहसील बालोद जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 29-4-2002 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई जानकारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहे तो मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1.	लोक न्यास का नाम पता	–	श्री रामचंद्र जी स्वामी मंदिर ट्रस्ट देवीनवागांव तहसील बालोद जिला दुर्ग (छ. ग.)
2.	अचल संपत्ति	–	ग्राम देवीनवागांव प. ह. नं. 1 स्थित कृषि भूमि कुल ख. नं. रकबा 2.96 एवं आबादी भूमि ख. नं. 362 रकबा 0.16 हे. पर स्थित श्री राम मंदिर.
3.	चल संपत्ति	–	निरंक

आज दिनांक 26-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर से जारी किया गया.

एस. पी. दीक्षित,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.